(40)

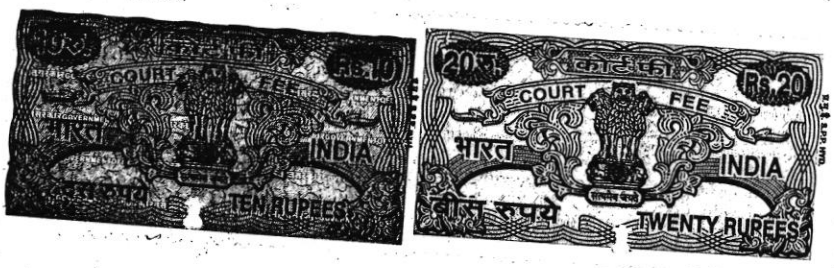

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0181

मैसर्स डी.जी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर मुनीष कुमार मीणा पुत्र श्री रतनलाल मीणा हाल निवास – 125 पेष्टेक टाउन नौगांव छतरपुर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री ... अभि. द्वारा आज दि. 5/1/18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9/2/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–68/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

05/1/18

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

XXIX(a)-BR(H)-11

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के
08/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब क्यों कर निरस्ती योग्य है, इसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं किया है, केवल यह लिखना कि "आवेदक अधिवक्ता के जवाब का अवलोकन किया, जिससे सहमत न होते हुए निरस्त किया जाता है।" बोलते हुए आदेश की परिधि में नहीं आता है। अतः आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब पर बोलता हुआ आदेश पारित करें। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	